प्र सं0-563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 (1.) कल्लु राम पिता स्व0 मगन राम, (2.) टिंकू राम पिता स्व0 विशुन राम, निवास स्थान ग्राम-डुड्डुडु, भुईयाँ टोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-डुड्डुडु, थाना संख्या-147, खाता संख्या-80 प्लॉट संख्या-748 रकबा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि सुशीला देवी पति बहादुर राम, निवास स्थान ग्राम-डुड्डुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-687/2022 प्रारंभ कर कार्यालय पत्रांक 3587/रा0 दिनांक 29.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 654 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत मनकी दुसाध है। खतियान में भूमि का कुल रकबा 2.07 एकड़ दर्ज है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 0.14 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-152/IX पर पनवा देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत विक्रेता की दादी हैं। आवेदक द्वारा संयुक्त खाता में रकबा 0.14 एकड़ भूमि धारित हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकबा 0.06 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक (1.) कल्लु राम पिता स्व0 मगन राम, (2.) टिब्बू राम पिता स्व0 विशुन राम, निवास स्थान ग्राम-हुडहुडु, भुईयाँ टोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुडु, थाना संख्या-147, खाता संख्या-80 प्लॉट संख्या-748 रकबा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि सुशीला देवी पति बहादुर राम, निवास स्थान ग्राम-हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.23 16:57:10 +05:30
Location: 192.168.0.107